



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 8 नवम्बर, 2021

कार्तिक 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 1395/49-1-21-08(40)-2013  
लखनऊ, 8 नवम्बर, 2021

अधिसूचना  
आदेश

प०आ०-365

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से छः माह की अवधि के लिये प्रदेश की समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं, समस्त सहकारी संघों एवं सहकारी यूनियनों के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करती हैं ।

2-उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

आज्ञा से,  
बी0 चन्द्रकला,  
विशेष सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1395 /XLIX-1-21-08(40)-2013, dated November 8, 2021:

No. 1395 /XLIX-1-21-08(40)-2013

*Dated Lucknow, November 8, 2021*

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 ( U. P. Act no. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit strikes in all services with immediate effect for a period of six months under the All Apex Co-Operative Societies, All Co-Operative Federations And All Co-Operative Union in Uttar Pradesh .

2. Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,  
B. CHANDRAKALA,  
*Vishesh Sachiv.*